कार्यालयः वन संरक्षक/क्षेत्रीय निदेशक, बुन्देलखण्ड वृत्त, उ0प्र0, झांसी
पत्रांक– 1423 / 33–1 / दिनांक, नवम्बर 18 ,2022।

सेवा में,

मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी,
उ0प्र0 लखनऊ।

विषयः– जनपद झांसी में रिलायन्स बी0पी0 मोविलिटी लि0 लखनऊ द्वारा ग्वालियर–झांसी मार्ग (NH-44) के कि0मी0 चैनेज 92.760 से 93.00 के मध्य दांयी पटरी पर खसरा सं0–422 ग्राम करारी, तहसील व जिला झांसी, उ0प्र0 में प्रस्तावित पेट्रोल/डीजल पम्प स्थल से मुख्य मार्ग तक आवागमन मार्ग से प्रभावित 0.1721221 हे0 संरक्षित वन भूमि पर बिना वृक्ष पातन के गैर वानिकी प्रयोग की अनुमति।
प्रस्ताव संख्या– FP/UP/Approach/ 148762/2021

संदर्भ– 1. भारत सरकार का पत्रांक– 8B/UP/06/151/2022/FC/628, दिनांक 19.10.2022।
2. मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, उ0प्र0 लखनऊ का पत्रांक–1443/11– सी, दिनांक 20.10.2022।
3. प्रभागीय वनाधिकारी, झांसी का पत्रांक– 1917/15–1, दिनांक– 17.11.2022।

महोदय,

भारत सरकार के उपरेक्त संदर्भित पत्र द्वारा प्रस्ताव में लगाई गई आपत्तियों के कम में प्रभागीय वनाधिकारी, झांसी ने अपने संदर्भित पत्र दिनांक 17.11.2022 द्वारा, लगाई गई आपत्तियों का निराकरण कर अभिलेख एवं विस्तृत आख्या इस कार्यालय को प्रेषित की है। जिसका इस कार्यालय द्वारा परीक्षणोपरान्त सम्बन्धित अभिलेख एवं आख्या तीन प्रतियों में संलग्न कर प्रस्ताव स्वीकृत किये जाने की संस्तुति सहित प्रेषित है।
संलग्नक– संशोधित अभिलेख तीन प्रतियों में।

भवदीय

(कैलाश प्रकाश)
वन संरक्षक/क्षेत्रीय निदेशक
बुन्देलखण्ड वृत्त, झांसी

पृष्ठांकन संख्या– 1423 / समदिनांक।
प्रतिलिपि– प्रभागीय वनाधिकारी, झांसी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

(कैलाश प्रकाश)
वन संरक्षक/क्षेत्रीय निदेशक
बुन्देलखण्ड वृत्त, झांसी

कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी, झांसी वन प्रभाग, झांसी

पत्रांक 1917 /15–1 दिनांक, झांसी, नवम्बर 17, 2022

सेवा में,

वन संरक्षक / क्षेत्रीय निदेशक,
बुन्देलखण्ड वृत्त, उ0प्र0, झांसी ।

Phone/Fax No. - (0510) 2370037
E-mail - dfojhansi@gmail.com
Address - 121 Civil Line, Jhansi

विषयः– जनपद झांसी में रिलायंस बी0पी0 मोबिलिटी लि0 लखनऊ द्वारा ग्वालियर–झांसी मार्ग (N.H 44) के किमी0 चैनेज 92.760 से 93.00 के मध्य दांयी पटरी पर खसरा सं0 422 ग्राम करारी, तहसील व जिला झांसी उ0प्र0 में प्रस्तावित पेट्रोल / डीजल पम्प स्थल से मुख्य मार्ग तक आवागमन मार्ग से प्रभावित 0.1721221 हे0 संरक्षित वनभूमि पर बिना वृक्ष पातन के गैर वानिकी प्रयोग की अनुमति ।

संदर्भः– भारत सरकार का पत्रांक–8B/UP/06/151/2022/FC/628, Date 19.10.2022 एवं मुख्य वन संरक्षक / नोडल अधिकारी, उ0प्र0, लखनऊ का पत्रांक–1443 / 11–सी–FP/UP/Approach/148762/2021, दिनांक 20.10.2022 ।

महोदय,

उपरोक्त संदर्भित पत्र के कम में भारत सरकार द्वारा 01 बिन्दु की आपत्ति दर्शायी गयी थी। उक्त आपत्ति का निराकरण कर निराकरण अभिलेख 04 प्रतियों में संलग्न कर संस्तुति सहित इस आशय से प्रेषित कि आपत्ति का निराकरण अभिलेख की 03 प्रतियां मुख्य वन संरक्षक / नोडल अधिकारी, उ0प्र0, लखनऊ को प्रेषित करने की कृपा करें, निराकरण निम्न प्रकार है :–

क0सं0	आपत्ति	निराकरण
1	The component wise breakup does not match with the total area proposed for diversion.	Component wise breakup rectified and corrected. Hard copy of corrected Part-1 attached.

संलग्नक :– उपरोक्तानुसार ।

भवदीय

(एम0पी0 गौतम)
प्रभागीय वनाधिकारी
झांसी वन प्रभाग, झांसी

पृष्ठांकन संख्या /अ/समदिनांक

प्रतिलिपि मुख्य वन संरक्षक / नोडल अधिकारी महोदय, उ0प्र0, लखनऊ को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित ।

(एम0पी0 गौतम)
प्रभागीय वनाधिकारी
झांसी वन प्रभाग, झांसी